दिनांक 29.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 38/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा i-FACTTS App (Intelligent Financial Analytics Crime Tracking and Training System) का किया गया शुभारम्भ

मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत समय–समय पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी व सुदृढ़ बनाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम में भ्रष्टाचार निवारण संगठन में जॉच/विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा **i**-FACTTS App (Intelligent Financial Analytics Crime Tracking and Training System) विकसित किया गया है।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 29.06.2024 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में **i**-FACTTS App (Intelligent Financial Analytics Crime Tracking and Training System) का शुभारम्भ किया गया।

i-FACTTS app (Intelligent Financial Analytics, Crime Tracking and Training System) के विकसित होने से 1–अभिसूचना संकलन 2–फाइनेंसियल एनालिसिस 3–सी0डी0आर0 एनालिसिस 4–डी0ए0 कैल्कुलेशन 5–विवेचना, अभियोजन, प्रशिक्षण में मदद मिलेगी।

i-FACTTS app से समय की बचत होगी और जॉच का तरीका आसान होगा तथा विवेचनाओं और जॉचों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाये जाने के क्रम में अब तक निम्नलिखित कार्यवाही सम्पादित की गयी है।

1–08 नवीन इकाईयों का गठन 2–उ0प्र0 के 18 मण्डल स्तर पर भ्र0नि0सं0 के पुलिस थानों का लोकार्पण/उद्घाटन 3–जॉचों व विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार 4–समस्त

जनपदों में एसीओ की यूनिट का गठन, 5–मुख्यालय एवं इकाईयों में तकनीकी यूनिट का गठन, 6–प्रशिक्षण, 7–जनशक्ति की बढ़ोत्तरी व अन्य संसाधन आदि।

भ्रष्टाचार संगठन द्वारा मार्ग दर्शन के अनुरूप निम्नलिखित प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है।

- संगठन में पूर्व से (10+1) 11 इकाईयॉ क्रियाशील थी, 08 नवीन इकाईयों के गठन के उपरान्त कुल 19 इकाईयॉ प्रदेश के 18 मण्डल स्तर पर एवं 1 टास्क फोर्स मुख्यालय स्तर पर क्रियाशील है।
- तकनीकी अपग्रेडेशन की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा i-FACTTS (Intelligent Financial Analytics, Crime Tracking and Training System) तैयार कराया गया है, जो जॉच/विवेचनाओं में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता में सुधार करते हुये उनका त्वरित गति से निस्तारण सुनिश्चित करेगा।
- संगठन मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम को यूपी 112 से इंटीग्रेट कराया गया है।
- प्रदेश के जनपदों में इंटेलिजेंस यूनिट के गठन की कार्यवाही प्रचलित है।
- तकनीकी यूनिट का गठन मुख्यालय एवं इकाई स्तर पर किया गया।
- 12वॉ इण्डक्शन प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रचलित है तथा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही है।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन लगातार संगठन की क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिये हर सम्भव प्रयास कर रहा है। वर्ष 2024 में अब तक 107 भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। इसी अवधि में वर्ष 2023 में 62 व वर्ष 2022 में 32 ट्रैप की कार्यवाही हुई थी। अब तक वर्ष 2024 में 202 जॉचों, विवेचनाओं एवं अभिसूचनाओं का निस्तारण किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, अपर पुलिस महानिदेशक भ्र0नि0संगठन/कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, अपर पुलिस महानिदेशक टेक्निकल, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहें।

SONY
प्रशान्त कुमार

प्रशान्त कुमार
महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

Intelligence Gathering

दिनांक 29.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 39/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा तीन नये कानूनों के कियान्वयन, कानून–व्यवस्था, आगामी त्यौहारों एवं यातायात प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 29.06.2024 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ0प्र0 के साथ दिनॉक:01.07.2024 से लागू किये जाने वाले तीन नये कानूनों के क्रियान्वयन, आगामी त्यौहारों (जगन्नाथ यात्रा, मोहर्रम, कावड़ यात्रा ,रक्षाबन्धन, सावन झूला आदि), कानून–व्यवस्था एवं यातायात प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में संक्षिप्त वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की गयी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये :–

- भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार 01 जुलाई 2024 से तीनों नये कानून यथा भारतीय न्याय सहिंता–2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता–2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में तैयारी कर ली जाय तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय। इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय–समय पर निर्गत कार्य योजनाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- **आगामी त्यौहारों** के दृष्टिगत पीस कमेटी की गोष्ठी कर ली जाये तथा शान्ति समितियों, धर्मगुरूओं, कार्यक्रम/जलूस के आयोजको, सभ्रान्त नागरिकों से निरन्तर संवाद बनाये रखा जाय तथा डिजिटल वालेन्टियर्स एवं सिविल डिफेन्स का सक्रिय सहयोग लिया जाय।

- थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर का गहनता से अवलोकन कर लिया जाय तथा विगत वर्षो में किसी प्रकार विवाद प्रकाश आया हो तो उनका समय से निस्तारण करा लिया जाय। किसी नयी परम्परा की अनुमति न दी जाय।
- कावड़ यात्रा के मार्गो को पूर्व से चेक कर लिया जाय तथा मिश्रित आवादी वाले क्षेत्रों, विशेष जंक्शन प्वाइंट एवं कम्युनल हॉट स्पॉट पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाय।
- जलूस मार्गो को चिन्हित करते हुये पुलिस व्यवस्थापन किया जाय तथा जूलुस के साथ अधिक से अधिक पुलिस बल की ड्यिूटी लगायी जाय।
- कावड़ यात्रा/जुलूस मार्गो पर अधिक अधिक स्थानीय व यातायात पुलिस का व्यवस्थापन करते हुये स्थानीय प्रशासन आदि से अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखा जाय।
- जुलूस मार्गो पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखा जाय तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाये।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि स्थानों पर विशेष रूप से सुरक्षा प्रबन्ध किये जाय तथा सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ करने के उपरान्त ड्यिूटी पर लगायी जाये।
- त्यौहारों के अवसर पर भीड़ प्रबन्धन एवं भीड़ नियत्रण के सिद्धान्तों पर अमल करते हुये पूर्व से ही प्लानिंग एवं तकनीक का प्रयोग कर व्यापक इन्तजाम किये जाय।
- कमिश्नरेट/जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये जोन/सेक्टर स्कीम में पुलिस व्यवस्थापन किया जाय तथा अतिसंवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट/स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती आवश्यकतानुसार की जाय।
- थाने के स्थानीय पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों को निरन्तर भ्रमणशील रखा जाय तथा यूपी–112 के वाहनों का व्यवस्थापन संवेदनशील मार्गो, स्थलों पर किया जाय।
- नियंत्रण कक्ष/उप नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाये तथा त्वरित सूचना प्रेषण एवं कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रिया निर्धारित की जाय।

- पोस्टर पार्टी एवं मॉर्निंग चेकिंग टीम का गठन किया जाय तथा पोस्टर पार्टी को नियमित रूप से प्रातः काल निकाला जाय।
- आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अभिसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय रखा जाय तथा छोटी से छोटी सूचना को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परता पूर्वक यथोचित विधिक कार्यवाही की जाय।
- सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर 24X7 सर्तक दृष्टि रखी जाय। सोशल मीडिया पर रिस्पान्स टाइम और अधिक तेज किया जाये तथा भ्रामक/आपत्ति जनक पोस्ट, अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये अफवाहों का खण्डन कराया जाय एवं वैधानिक कार्यवाही की जाये।

दिनांक 29.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 40/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रामपुर/थाना टाण्डा

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 28.06.2024 को थाना टाण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बहला नदी के पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त ताहिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना टाण्डा पर पंजीकृत धोखाधड़ी के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद रामपुर, मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना टाण्डा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ताहिर निवासी ग्राम सरदार नगर असालतपुरा थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना लोहामंडी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 07 लाख 10 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 29.06.20324 को थाना लोहामंडी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दास कालोनी के पास से अभियुक्त किशन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 07 लाख 10 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना लोहामंडी क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लोहामंडी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना लोहामंडी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—किशन कुमार निवासी लक्ष्मीनगर थाना जगदीशपुरा, आगरा।

बरामदगी

1—चोरी के 07 लाख 10 हजार रूपये नगद।

जनपद आजमगढ़/थाना देवगॉव

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गयी स्वीफ्ट कार**
- **05 मोबाइल फोन, नगद रूपये**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉक: 29.06.2024 को थाना देवगॉव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैरीडीह की तरफ से बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—अभिषेक उर्फ शिवांश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—अभिषेक 3—सोम प्रकाश सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी स्वीफ्ट कार, 05 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि अभिषेक उर्फ शिवांश के विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर डकैती, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना देवगॉव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अभिषेक उर्फ शिवांश निवासी लहुवां कला थाना देवगॉव जनपद आजमगढ़।

2—अभिषेक निवासी दिवाकलपुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

3—सोम प्रकाश निवासी दिवाकलपुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—लूटी गयी स्वीफ्ट कार।

2—05 मोबाइल फोन, नगद रूपये।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29.06.2024 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भाईपुरा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सलमान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सलमान निवासी ग्राम खंदावली थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सोनभद्र/थाना रायपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 बैट्री, 01 इनवार्टर आदि बरामद**

दिनांक 28.06.2024 को थाना रायपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम डोरिया के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—अवधेश कुमार 2—मंजीत कुमार उर्फ गुलशन कुमार को गिरफ्तार किया गया एवं एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 बैट्री, 01 इनवार्टर आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रायपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैट्री, इनवार्टर चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रायपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अवधेश कुमार निवासी ग्राम रईया थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।

2—मंजीत कुमार उर्फ गुलशन कुमार निवासी ग्राम रईया थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

1—चोरी की 08 बैट्री, 01 इनवार्टर आदि।

जनपद बरेली/थाना फतेहगंज पश्चिमी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 70 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 29.06.2024 को थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सतुईया पट्टी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे अभियुक्त डालचन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 70 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—डालचन्द्र निवासी संजयनगर थाना बारादरी जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 70 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलोग्राम अवैध अफीम।

ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकी/जनपद बाराबंकी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 51 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 305 किलो 188 ग्राम अवैध डोडा पोस्ता छिलका, 02 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 28.06.2024 की रात्रि ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकी टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामनगर—बदोसराय मार्ग ग्राम बरदरी थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी से अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ ओमकार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 51 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 305

किलो 188 ग्राम अवैध डोडा पोस्ता छिलका, 02 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—ओमप्रकाश उर्फ ओमकार निवासी ग्राम मुंशीपुरवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 51 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 305 किलो 188 ग्राम अवैध डोडा पोस्ता छिलका।

2—02 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम।

3—01 मोबाइल फोन।

जनपद सोनभद्र/थाना चोपन

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 09 लाख रूपये कीमत के 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 28.06.2024 को थाना चोपन व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर वार्ड नं0—09 गुरमा से अभियुक्त आदित्य पाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 09 लाख रूपये कीमत के 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना चोपन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आदित्य पाल निवासी वार्ड नं0—09 गुरमा थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

1–लगभग 09 लाख रूपये कीमत के 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 मोबाइल फोन।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना गढिया रंगीन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 55–55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना गढिया रंगीन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–केसरी 2–जबरशेर 3–शाबुद्दीन को आजीवन कारावास व 55–55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बलिया/थाना नगरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना नगरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मुन्ना उर्फ भूपेन्द्र को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जौनपुर/थाना सिकरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सिकरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 376 भादवि सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त उदयराज को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना काकोरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद लखनऊ द्वारा थाना काकोरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त खालिक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना पुवायाँ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना पुवायाँ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रूकसाद खान को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना हरगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना हरगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बन्टी को 07 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।